न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 1/18

1. माफी मंदिर श्री सीताराम जी माईनर ग्राम कुण्डली जरिये पुजारी गिरधारी पुत्र श्री बृजलाल जाति संजोगी निवासी ग्राम कुडली तहसील बामनवास
2. कैलाश पुत्र विशन्या जाति मीना भक्त सेवक मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम कुडली तहसील बामनवास
3. कमल पुत्र रामधन जाति मीना भक्त सेवक मंदिर श्री सीताराम जी ग्राम कुडली तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. केदार पुत्र रामजीलाल जाति संजोगी निवासी ग्राम कुडली तहसील बामनवास
2. कैलाश पुत्र रामजीलाल जाति संजोगी निवासी ग्राम कुडली तहसील बामनवास
3. गिन्दोडी पुत्री रामजीलाल पत्नि राजपाल जाति संजोगी निवासी ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर
4. सुशीला पुत्री रामजीलाल पत्नि चौथीलाल जाति संजोगी निवासी ग्राम धवान तहसील टोडाभीम जिला करौली
5. शकुन्तला पुत्री रामजीलाल पत्नि रामदयाल जाति संजोगी निवासी रेडायल गुर्जर तहसील वजीरपुर
6. देवस्थान विभाग जरिये सहायक आयुक्त खण्ड भरतपुर लक्ष्मण मंदिर भरतपुर
7. तहसीलदार लैण्ड होल्डर बामनवास

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 64/16 निर्णय दिनांक 10.7.17)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री हर्षवर्धन शर्मा
2. रेस्पोडेट 1 से 5 की और से श्री ओमप्रकाश शर्मा

निर्णय दिनांक 02.03.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 64/16 निर्णय दिनांक 10.7.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कुडली तहसील बामनवास स्थित भूमि ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 माफी मंदिर श्री सीताराम जी की भूमि है। इस भूमि पर सायल न0 1 काश्त करता है तथा उससे प्राप्त आय को मंदिर मे लगाता है। किसी का भी उक्त भूमि से कोई व्यक्तिगत हित निहित नही है। इस भूमि को राजस्व कर्मियो की गलती से भूरादास के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा दिया तथा उसके पश्चात गैरसालय न0 1 से 5 के पिता रामजीलाल चेला भूरादास के नाम दर्ज कर दिया एवं [illegible] भूमि जरिये नामा0 राजस्व रिकार्ड मे गैरसायलान न0 1 से 5 के नाम [illegible] जबकि मंदिर माफी की भूमि हमेशा मंदिर के नाम ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज [illegible] है। पुजारी तक का नाम राजस्व रिकार्ड मे नही रहता है। हाल ख0न0 84 रकबा [illegible] है0 का सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0न0 56 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा रहा है। जो गलत प्रकार से गैरसायलान के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज रहा है। साबिक ख0न0 56 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

एकीकरण के समय साबिक ख0न0 35 रकबा 10 विस्वा, 34 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा रहे है जो माफी मंदिर श्री सीताराम जी मंदिर के नाम दर्ज रही है जिसमे पुजारी के नाते भूरादास का नाम दर्ज रहा है। सेटलमेंट व राजस्व कार्मिको द्वारा की गई गलती प्रभावहीन व शून्य है। इस गलती को सही किया जाकर ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 मे से गैरसायलान के नाम हटाकर माफी मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। गैरसायलान मंदिर की भूमि मे होने वाली काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है। तथा उक्त भूमि को रहन बय, अन्तरण कर पंजीयन कराने पर उतारू है। दिनांक 26.9.16 को गैरसायलान अनाधिकृत रूप से मंदिर की भूमि पर आयें और धमकी दी कि इस भूमि को मंदिर के लिए काश्त नही करने देगे एवं भूमि को रहन बय कर भूमि पर कब्जा अन्य लोगो को करवायेगे। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा इस आशय पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि को रहन बय या अन्य प्रकार से अन्तरित नही करे तथा गेर सायल न0 7 तहसीलदार राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे तथा गैरसायल न0 1 ता 5 उक्त भूमि मे मंदिर के कब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग मे दखल नही दे एवं किसी अन्य से दखल नही करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2-3-20
राजस्व अपील अधिकारी
सवाईमाधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्व कानून एवं रिकार्ड होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना जानकारी के बिना सुनवाई किये लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पर दोनो पक्षो की उपस्थिति दिखाकर दोनो पक्षकारो की बहस सुनना बताकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करना बता दिया। जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही दी गई। दिनांक 21.12.17 को न्यायालय मे अपनी तारीख पेशी पर प्रार्थी आया तब प्रार्थी को दावे मे आगामी तारीख पेशी 15.2.18 दी गई तथा प्रार्थना पत्र के संबध मे संबंधित लिपिक द्वारा बताया गया कि राजस्व अभियान मे दिनांक 10.7.17 को फैसला कर दिया है। यह सुनकर अपीलांट को आश्चर्य हुआ। दिनांक [illegible].12.17 [illegible] अपीलांट ने निर्णय की नकल प्राप्त की जब प्रार्थी को जानकारी हुई कि निर्णय कर [illegible] गया है। उल्लेखनीय है कि राजस्व अभियानो के दौरान लोक अदालत [illegible] की समझाईश करवाकर राजीनामा होने पर मुताबिक राजीनामा केस का निर्णय किया जाता है। लोक अदालत मे न्यायालय की तरह सुनवाई कर मैरिट पर निर्णय नही किया जाता है। पीठासीन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर रेस्पो0 के अनुचित प्रभाव मे आकर बदनियती पूर्वक प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का निर्णय किया है। वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री सीताराम जी की है। जो रिकार्ड से स्पष्ट साबित है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड को विवेचन कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। मंदिर की भूमि की रक्षा करना प्रत्येक लोक सेवक की जिम्मेदारी है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई किये मनमाने तरीके से निर्णय कर दिया। ग्राम कुडली तहसील बामनवास स्थित भूमि ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 माफी मंदिर श्री सीताराम जी की भूमि है। इस पर अपीलांट न0 1 काश्त करता है तथा उससे प्राप्त आय को मंदिर मे लगाता है। किसी का भी उक्त भूमि से कोई व्यक्तिगत हित निहित नही है। इस भूमि को राजस्व कर्मियो की गलती से भूरादास के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा दिया तथा उसके पश्चात गैरसायल न0 1 से 5 के पिता रामजीलाल चेला भूरादास के नाम दर्ज कर दिया व अब रामजीलाल की मृत्यु होने के पश्चात भूमि जरिये नामा0 राजस्व रिकार्ड मे गैरसायलान न0 1 से 5 के नाम दर्ज कर दिये। जबकि मंदिर माफी की भूमि हमेशा मंदिर के नाम ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहती है। पुजारी तक का नाम राजस्व रिकार्ड मे नही रहता है। हाल ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 का सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0न0 56 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा रहा है। जो गलत प्रकार से गैरसायलान के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज रहा है। साबिक ख0न0 56 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा के एकीकरण के समय साबिक ख0न0 35 रकबा 10 विस्वा, 34 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा रहे है जो माफी मंदिर श्री सीताराम जी मंदिर के नाम दर्ज रही है जिसमे पुजारी के नाते भूरादास का नाम दर्ज रहा है। सेटलमेंट व राजस्व कार्मिको द्वारा की गई गलती प्रभावहीन व शून्य है। इस गलती को सही किया जाकर ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 मे से गैरसायलान न0 1 से 5 के नाम हटाकर माफी मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। मंदिर श्री सीताराम जी माईनर है जिसके हितो का संरक्षण किया जाना आवश्यक है। गैर सायल संख्या 6 देवस्थान विभाग एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर की भी जिम्मेदारी है। वे मंदिर माफी की भूमियो से संबंधित रिकार्ड संबंधित मंदिर के नाम ही रखे एवं उसमे किसी पुजारी या व्यक्ति का नाम दर्ज नही रखे। एकीकरण विभाग व सेटलमेंट विभाग, रेवेन्यू अधिकारियो को कोई अधिकार माफी मंदिर की सीताराम जी की भूमि को भूरादास, रामजीलाल एवं गैरसायल संख्या 1 से 5 के नाम [illegible] का नही है। उक्त रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा की गई कार्यवाही [illegible] शून्य एवं प्रभावहीन है तथा उक्त गलती सही होने योग्य है। उक्त गलती को सही की [illegible] भूमि ख0न0 84 रकबा 0.47 है0 गैरसायल संख्या 1 से 5 के नाम से हटाकर [illegible] मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि भूमि हाल खसरा न0 84 रकबा 0.47 है0 ग्राम कुण्डली तहसील बामनवास रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी एवं काश्त की भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलांट मंदिर श्री सीताराम जी के पुजारी नही है ना ही कभी रहे है ना ही इनके वारिसान पुजारी रहे है। मंदिर की तरफ से अपीलांटान को दावा दायर करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अपीलांटान द्वारा गलत रूप से चौथ वसूली के लिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। वर्तमान मे भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज है इससे पहले रामजीलाल के नाम एवं उससे पहले भूरादास के नाम रही है। रेस्पो0 भूरादास के वारिसान है। विरासत के मुताबिक ही रेस्पो0 केदार मंदिर की पुजा करता है तथा विवादित भूमि से प्राप्त आय से मंदिर के भोग विलास आदि का खर्चा चलाता है। अपीलांट का मंदिर से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है ना ही कभी रहा है। अपीलांट का विवादित भूमि पर जोत लगाना केवल मात्र काल्पनिक है। दिनांक 26.9.16 का घटनाकम भी असत्य है। मंदिर का पुजारी गिरधारी होना भी असत्य है। ना तो गिरधारी पुजारी हैं ना ही उसके वारिस कभी पुजारी रहे है। पुजारी भूरादास के बाद उसका चेला रामजीलाल उसके बाद रामजीलाल का लडका रेस्पो0 केदार आनवांशिक पुजारी रहे है जो अपीलांट ने स्वीकार किया है। विवादित आराजीयात की खातेदारी काफी समय पूर्व से ही रेस्पो0 के पुर्वजो व उनके पश्चात रेस्पो0 के नाम चली आ रही है। अपीलांट का यह कथन सही नही है कि रेस्पो0 द्वारा भूमि को रहन बय किया जावेगा। रेस्पो0 द्वारा मंदिर की भूमि को किसी प्रकार से रहन बय नही किये जाने की कोई बात अभी तक सामने नही आई है। इस प्रकार अपीलांट का कथन मिथ्या एवं झूठा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोंक अदालत मे दोनो पक्षो को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विधि पूर्वक मनन करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है तथा अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है। जो खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। नकल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2005 वाके ग्राम कुण्डली के खसरा न0 34 के अनुसार भूमि मनसापूर्ण मंदिर श्री सीताराम जी पुजारी भूरादास चेला गुलाब दास के नाम दर्ज है इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2005 से 2008 वाके ग्राम कुण्डली के ख0न0 35 के किस्म खाते मे माफी दर्ज है व खातेदार के कॉलम मे भूरादास चेला गुलाब दास मंदिर पुजारी सीताराम के नाम दर्ज है। साबिक ख0न0 56 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा के एकीकरण के समय साबिक ख0न0 35 का 10 विस्वा व ख0न0 34 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल रकबा 1 बीघा 19 विस्वा हुई जो पत्रावली मे उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। भू प्रबंध विभाग के क्षैत्रफल तुलनात्मक पत्र से साबिक ख0न0 56 का नवीन खसरा न0 84 बनना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायलान/रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड होने के कारण ही रिकार्डेड खातेदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई है। चूकि: राजस्व रिकार्ड मे भूमि मंदिर माफी के नाम दर्ज रही है। विवादित भूमि के बाबत वाद अधिनस्थ न्यायालय मे जैरकार है, जिसमे अधिकारो का तय होना शेष है। साबिक राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी का अंकन मंदिर के पक्ष मे होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटी पूर्ण आदेश है। मंदिर के हितो के मद्वेनजर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाया रखा जाना उचित है। इसिलिए उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0न0 64/16 निर्णय दिनांक 10.7.17 को अपास्त किया जाता है। तथा उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

2-3-20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner